न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 06 / 26 दायर दिनांक 09.01.2026

जीसीएमएस नं 2026 / 12

उनवान

1 गोविन्दराम 2 बलीराम 3 मोहनसिंह 4 विजयसिंह 5 विश्राम पुत्रान रामदयाल जातियान गुर्जर निवासीयान दयापुर तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रार्थीगण

बनाम

1 धर्मसिंह 2 फत्तेसिंह 3 विजेन्द्रसिंह 4 साहबसिंह पुत्रान जगनसिंह 5 प्रहलादसिंह पुत्र साहबसिंह 6 हेमसिंह पुत्र धर्मसिंह जातियान गुर्जर निवासीयान दयापुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

अधिवक्ता:—

1 श्री सुरेन्द्र चौधरी ——प्रार्थीगण
2 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 27/05/2025

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 122 रकवा 0.1500 हेक्टेयर वाके ग्राम दयापुर तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादीगण सायलान वाहिस्सा बराबर के काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा इसी प्रकार से राज लगान राज्य सरकार को अदा करते हुए अपने उपयोग व उपभोग मे लेते चले आ रहे है। वादीगण सायलान ने उक्त आराजी मे अपने कृषि जिन्स रखने एवं पशु बगैरा बांधने तथा चारा आदि रखने के लिए निर्माण कर रखा है।

वादीगण सायलान की आराजी खसरा नम्बर 122 रकवा 0.1500 हेक्टेयर से प्रतिवादीगण गैरसायलान का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार किसी भी प्रकार का आज तक नही रहा है, और ना ही कभी रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण गैरसायलान संख्या एक लगायत 4 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 121 रकवा 0.1000 हेक्टेयर वादीगण सायलान की आराजी के तरफ उत्तर मे लगी हुई है। जिसकी आड मे प्रतिवादीगण गैरसायलान, वादीगण सायलान की आराजी पर जबरन कब्जा करते हुए अतिक्रमण करना चाहते है। और अपनी आराजी की सम्पूर्ण भूमि पर व वादीगण सायलान की खातेदारी की आराजी को दबाते हुए निर्माण करने

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

पर आमादा है, एवं वादीगण सायलान की खातेदारी की आराजी की तरफ मोरी, परनाले, जंगला, रोशनदान आदि निकालकर वादीगण सायलान की आराजी मे गली कायम करना चाहते है। तथा गली कायम कर गन्दा पानी वादीगण सायलान की आराजी मे फैलाकर वादीगण सायलान की आराजी को नाकाविल काश्त बनाते हुए वादीगण सायलान के उपयोग व उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है। जबकि प्रतिवादीगण गैरसायलान को वादीगण सायलान की आराजी के वावत किसी तरह के कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

दिनांक 03.01.2026 को प्रतिवादीगण गैरसायलान ने वादीगण सायलान को खुले आम धमकी दी है कि हम हमारी आराजी मे पुख्ता निर्माण करते हुए तुम्हारी आराजी को दबाते हुए निर्माण करके रहेगे, और तुम्हारी आराजी की तरफ मोरी, जंगला, रोशनदान, परनाले आदि निकाल कर गली कायम करेगे, और तुम्हारी आराजी मे गन्दा पानी फैलाकर तुम्हारी आराजी को उपयोग व उपभोग करने के योग्य नही रहने देगे।

यदि प्रतिवादीगण गैरसायलान अपनी उपरोक्त धमकी की मंशा मे सफल हो गये, तो वादीगण सायलान अपनी खातेदारी की आराजी से बेदखल होकर हमेशा के लिए महरूम रह जावेगे, जिससे वादीगण सायलान को अपरमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से रूपये पैसो से सम्भव नही हो सकेगी। अतः वादीगण सायलान, प्रतिवादीगण गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पावन्द करा पाने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण की ओर से श्री चन्द्रशेखर तिवारी एड. द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

हमने बहस पर उभय पक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। हमने बहस उभयपक्ष एवं उनके द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया। पत्रावली तथा इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि उक्त आराजीयात के संबंध में फरीकेन के हकों का निर्धारण दावे में साक्ष्य व सबूतों के परीक्षण के पश्चात एवं गुणावगुण के आधार पर हो सकेगा।

ऐसी सूरत में अनावश्यक मुकदमा बाजी नहीं बढें एवं कानूनी पेचीदगीयां पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. आंशिक स्वीकार किया जाता है। तथा न्यायालय हाजा द्वारा जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09.01.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे की आराजी में अतिक्रमण नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 27/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०